अति-आवश्यक

रजि० डाक-पोस्ट

RTI 19-02-2025

172
24 FEB 2025
OFFICE OF THE C.G.M.
DFCCIL AJMER

ASHOK JAIN MAHATMA

ASHOK JAIN MAHATMA
RTI ACTIVIST
hai school road, RANI
Mob- 9309384616

प्रेषिति,

श्रीमान उप मुख्य परि० प्रबन्धक/ इंजी/ मा.सा.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.(फ्रेट कॉरीडोर)
A-1 सर्कुलर रोड, एस.पी. बंगले के पास
अजमेर 305001 राजस्थान

विषय:- श्रीमान के कार्यालय पत्रांक क्रमांक:- अज/मा०सं०सा०/ /आर.टी.आई./59 दिनांक: 07-02-2025 के क्रम में (जबाब उल्टा जबाब)

प्रसंग:- श्रीमान द्वारा गलत जबाब प्रत्युत्तर मात्र(01) एक पृष्ठ से उपलब्ध करा कर इति श्री करने के संदर्भ में असन्तुष्टी बाबत

महोदय, उपरोक्त प्रासंगिक बाबत प्रकरण के अन्तर्गत आप के द्वारा प्रस्तुत मात्र(01) एक पृष्ठ से जबाब प्रत्युत्तर दिया गया है। जो मात्र भ्रामक तथ्य हीन किसी बाहरी दबाव से ग्रस्त होना प्रतीत हो रहा है। जो कि श्रीमान से चाही गई कार्यवाही में अपूर्ण है। यह स्पष्ट श्रीमान को अवगत कराया जाता है कि अब तक रानी स्टेशन के बने आर.यू.बी 75 एवं एफ.ओ.बी. पैदल फुट पाथ ओवर D.F.C. ब्रिज से भी अन्य व्यवसायिक केबल का निरन्तर उपयोग हो रहा है। विशेष नगर पालिका रानी खुर्द के द्वारा अन्तरित आवेदन R.T.I 01-04-2023 में मांगी गई रेल्वे से सम्बन्धीत प्राप्त ही नहीं करवाई गई सत्यापीत पत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। साथ ही श्रीमान से निवेदन है कि आप के द्वारा लिखा गया पत्र 26-12-2024 के अन्तर्गत भी रानी खुर्द नगर पालिका के ही प्रमुख अधिशाषी अधिकारी श्रीमान सुदर्शन जांगु के द्वारा कोई भी पत्र व किसी भी प्रकार की की गई कार्यवाही से कोई भी पत्र संलग्न ही नहीं किया है और न ही कोई प्रत्युत्तर हस्ताक्षर युक्त से संलग्न किया गया है। श्रीमान द्वारा दोषीयों को बचाया जाने का मात्र असफल प्रयास है।

प्रार्थी
अशोक जैन महात्मा
19-02-25
हाई स्कूल रोड, मैन बाजार
रानी-स्टेशन 306115
जि. - पाली - राजस्थान
मो० 9309384616

आवश्यक प्रतिलिपि सुचनार्थ प्रेषित:-

(1) श्रीमान मुख्य सुचना आयुक्त महोदय
केन्द्रीय सुचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग (मुनिरिका)
नई दिल्ली 110067

आवश्यक

Ashok Jain Mahatma
RTI Activist

Add:- Main Bazar, High School Road
Rani Station, Rani Dist Pali (Raj.) 306115
Mob No. - 9309384616

रजि०-डाक-पोस्ट
19-02-2025

कार्यालय मुख्य महा प्रबंधक डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर 172 24 FEB 2025

S.N. 250220 B

Date :-

प्रेषित,

श्रीमान उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल /इंजी// अजमेर
A-1 स्कूल रोड, S.P. बंगले के पास
अजमेर 305001 राजस्थान

विषय:- आप श्रीमान के द्वारा जारी अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका रानी खुर्द को प्रेषित आदेश पत्र 26-12-2024 के क्रम में आदिनांक तक में की गई पालनार्थ जमल्ल पत्रों बिन्दुवार प्रत्युत्तर मय प्रतिलिपियों से अवगत करवाये जाने के बाबत श्रीमान से निवेदन के बाबत

प्रसंग:- अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रानी खुर्द (306115) के द्वारा तथ्यों को छुपाया जाने के संदर्भ में। पुनः

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत 17-12-2024 को रखी गई ही संयुक्त बैठक का समाधान (हल) आदिनांक! 19-02-2025 तक मे नही निकलने पर श्रीमान के समक्ष पुनः शिकायत मय निवेदन है। साथ ही श्रीमान से पुनः निवेदन है कि एक बार पुनः ही संयुक्त बैठक रखी जा कर ही रहे नियम विरुद्ध निर्माण एवं अन्य रेल्वे विभाग द्वारा जारी आपत्ति बाबत प्रत्युत्तर उपलब्ध ही नही होने बाबत। उसी के साथ ही D.F.C. भूमि मे हो रहे किये अतिक्रमण तथा अनाधिकृत व्यवसायीक इन्टर नेट केबल कनेक्सनो से सम्बन्धित पर आप श्रीमान मुख्य अपीलार्थी को पूर्ण सरकार एवं रेल्वे के हित मे अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जांच किसी उच्च स्तरीय कमेटी बना कर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उसमे प्रार्थी की भी मौजूदगी सम्मिलित होना आवश्यक करावे।

प्रार्थी
अशोक जैन "महात्मा"
19-02-25
हाई स्कूल रोड, मेन बाजार
रानी स्टेशन 306115
जिला-पाली-राजस्थान

आवश्यक सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:-
(1) मुख्य परियोजना प्रबन्धक नई दिल्ली
(2) केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली

अति आवश्यक सूचनार्थ

रजि०-डाक-पोस्ट

19-02-2025

**अशोक जैन महात्मा**
RTI Activist

पता :- मैन बाजार, हाई स्कूल रोड़
रानी स्टेशन, पाली जिला पाली (राज) 306115
मो.नं. :- 9309384616

कार्यालय मुख्य महा प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर
24 FEB 2025
सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

S.N. 250218 C

प्रेषिति,
श्रीमान उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी ॥
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
A-1 स्कूलर रोड, S.P. बंगले के पास
अजमेर 305001 राजस्थान

विषय :- आप श्रीमान एवं श्रीमान के कार्यालय के द्वारा जारी पत्र RCD/DPD.NO-34-DT.08-02-2025 के क्रम में प्रेषित (जवाब अल जवाब)

प्रसंग :- केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली-67 के द्वारा जारी अपील संख्या फाईल नम्बर-RIC/D.F.C.C.I.L./A/2023/132165 में प्रदत्त निर्णय अनुसार आवेदन R.T.I. के पत्र दिनांक 01-04-2023 के क्रम मे वांछित चाही गई सूचना छायाप्रतियां बाबत नगर पालिका रानी स्वई द्वारा अपनाई गई नियम विरुद्ध जाल चाल निर्माण बाबत रेलवे विभाग की बिना अनुमति से किये गये कार्य से लाखो रुपये का पालिका कोष को जान बूझ कर हानि दे कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया गया है। प्रमाण श्रीमान को प्रस्तुत किया गया है। आप श्रीमान द्वारा आज दिन तक किसी भी प्रकार से कोई भी ठोस कार्यवाही सम्पन्न तक भी नहीं की गई है।

08-02-25 मे प्रस्तुत प्रेषित श्रीमान द्वारा प्रेषित डाक पत्र भी अनावश्यक मांगी गई सूचनाओं छायाप्रतियां वांछित सत्यापित एवं अधिशासी अधिकारी श्री सुदर्शन जांगु के हस्ताक्षर के बिना ही पोस्ट की गई है। कृपया पुनः संज्ञान मे लिया जाकर उचित कार्यवाही की जाकर वांछित चाही गई 01-04-23 के आवेदन अनुसार ही मुफ्त अपीलार्थी को उपलब्ध करावे।

प्रार्थी
"अशोक जैन महात्मा"
19-02-25
हाई स्कूल रोड, मैन बाजार
रानी-स्टे० 306115
जिला-पाली-राजस्थान

आवश्यक सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित :-
(1) श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय जी
केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली
नई दिल्ली 110067

अति-आवश्यक-पत्र

रजि०-डाक-पोस्ट

19-02-2025

**अशोक जैन महात्मा**
RTI Activist

पता :- मैन बाजार, हाई स्कूल रोड़
रानी स्टेशन, पाली जिला पाली (राज) 306115
मो.नं. :- 9309384616

कार्यालय मुख्य महा प्रबन्धक डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर 174 2 FEB 2025

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

S.N. 250219 A

Date :-

प्रेषिति,

श्रीमान उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी II
डी.एफ.सी.सी.आई.एल (फ्रंट कारीडोर)
A-1 स्कूलर रोड, S.P. बंगले के पास
अजमेर 305001 राजस्थान

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप के ही कार्यालय में संस्थित दिनांक 14-12-24 के क्रम में पूर्ण चाही गई (07) सात बिन्दुओ पर वांछित छायाप्रतियां बाबत आप श्रीमान द्वारा संज्ञान ही नही लिया जाकर अपीलार्थी को ही परेशान व मिथ्या भ्रामक (गलत) जानकारी मात्र (01) एक पृष्ठ से ही देकर इति श्री करने पर शिकायत मय रिमाईण्डर बाबत (संलग्न छायाप्रतियां) अतिक्रमणों को छुपाया गया है।

प्रसंग:- वांछित ही छायाप्रतियां समयावधि तक में भी उपलब्ध ही नही करवाये जाने के संदर्भ में। प्रथम अपील 15-01-2025

महोदय, उपरोक्त सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्रीमान को प्रेषित प्रस्तुत आवेदन दिनांक: 14-12-2024 के क्रम में मुझ प्रार्थी को अधूरे बिन्दुओ से मात्र (01) एक पृष्ठ से ही गलत भ्रामक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो कर बिना ही निरीक्षण किये जानकारी दे कर इति श्री कर ली गई है। (संलग्न-छायाप्रति) जब की मैं अपीलार्थी ने (07) बिन्दुओ से सूचनाएँ मय व श्रीमान के कार्यालय में संस्थित रेकर्ड शाखा से संस्थित ही की छायाप्रतियां मांगी गई है। जो आदिनांक तक उपलब्ध ही नही है। तथा उपलब्ध करवाये जाने मे असमर्थ प्रतीत हो रहे है। मेरे द्वारा नियमानुसार प्रथम अपील भी संस्थित करवाई जा चुकी है। उस पर भी आदिनांक तक संज्ञान ही नही लिया गया है। मैं अपीलार्थी वांछित छायाप्रतियां प्रतियों से अभाव ग्रस्त मेहरूम हूँ।

प्रार्थी
अशोक जैन महात्मा
19-02-25
हाई स्कूल रोड, मैन बाजार
रानी-स्टेशन 306115
जिला-पाली-राजस्थान

☆ = प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित !-
(1) श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली 67 नई दिल्ली-110067

क्रमांक :–अज / मा0संसा0 / आर.टी.आई / 59 दिनांक : 22.03.2025

**निमित्त** :– श्री अशोक जैन महात्मा
निवासी–हाई स्कूल रोड, मेन बाजार,
रानी स्टेशन जिला (पाली 306115

**विषय** :–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

**प्रसंग** :–इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 24.02.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णितानुसार चाही गई सूचना बाबत संबंधित विभाग को भिजवाया गया, का जवाब / सूचना / प्रत्युत्तर मय प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है।

अतः आपको इस पत्र के संलग्न जवाब / सूचना / प्रत्युत्तर मय प्रमाणित प्रतिलिपियां कर भिजवाई जा रही है।

**इसे महाप्रबन्धक / समन्वय, अजमेर का अनुमोदन प्राप्त है।**

**संलग्न** :– प्रत्युत्तर मय प्रमाणित प्रतिलिपियां
कुल कित्ता (08)

22/3/25

**(नवीन कुमार)**
**उप मुख्य परि0प्रबन्धक / इंजी / मा0संसा0**
**डीएफसीसीआईएल, अजमेर**

## नोट

श्री अशोक जैन महात्मा की आर.टी.आई. दिनांक 19.02.2025 का जवाब बिन्दुवार निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | मद संख्या | मांगी गई जानकारी / विवरण | जानकारी, विवरण प्रदान की गई है। |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | आर.टी.आई. दिनांक 07.02.2025 के क्रम में श्रीमान द्वारा गलत जवाब प्रत्युतर मात्र 01 पृष्ठ से उपलब्ध कराकर मात्र भ्रामक जानकारी प्रदान करने से असंतुष्ठ एवं आर.यू.बी.–75 एवं एफओबी, रानी ओवर ब्रिज से अन्य व्यावसायिक केबल का निरंतर उपयोग होना तथा नगर पालिका रानीखूर्द को अंतरित आवेदन आर.टी.आई. 01.04.2023 में मांगी रेलवे से संबंधित प्राप्त नही करवाई गई।<br><br>इस कार्यालय द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 26.12.2024 के अन्तर्गत भी रानीखूर्द नगर पालिका के ही प्रमुख अधिशाषी अधिकारी श्रीमान सुदर्शन जांगू के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी पत्र संलग्न नहीं किया गया है। और ना ही कोई प्रत्युतर हस्ताक्षरयुक्त से संलग्न किया गया है। | आर.टी.आई. दिनांक 07.02.2025 के संबंध में अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक–अज/मा.संसा./आर.टी.आई./59 दिनांक 07.02.2025 को आप द्वारा इस कार्यालय को रजिस्टर्ड आर.टी.आई. प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.01.2025 के क्रम में लिखा गया था जिसमें दिनांक 17.12.2024 को संयुक्त बैठक की पालना में आवेदनकर्ता श्री अशोक जैन महात्मा द्वारा दिनांक 01.04.2023 के प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णितानुसार चाही गई सूचना का बिन्दुवार विवेचन एवं विश्लेषण कर तत्समय निस्तारण किया गया था शेष रहे प्रश्नो बाबत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली को धारा RTI Act 2005 की धारा 2005 की धारा (6)3 के तहत स्थानान्तरित किये जाने बाबत आश्वत किया गया तदुपरांत शेष रहे प्रश्नो के निस्तारण किए जाने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली को अग्रेषित किया गया था एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली को इस शेष रहे प्रश्नो के जबाब बाबत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.012.2024 को लिखा गया **(छांयाप्रति संलग्न)** संलग्न पत्र के संबंध में कार्यालय नगर पालिका मण्डल रानी खुर्द जिला पाली के पत्र दिनांक 01.01.2025 को इस कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। जो श्री अशोक जैन महात्मा को प्रदान की जा चुकी है।<br><br>श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रानीखूर्द जिला–पाली के किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर होना या ना होने, बाबत् संबंधित कार्यालय से संपर्क करे।<br><br>रानी खूर्द आरयूबी–75 का निरीक्षण दिनांक 27.01.2025 को किया गया, जिसमें पाया गया कि आरयूबी–75 रेलवे अण्डरपास से किसी भी प्रकार की सीसीटीवी लाईन/फाईबर केबल, बीएसएनएल व रेलटेल की इंटरनेट सेवाओं से संबंधित केबल पार नहीं कर रही है और एफओबी, रानी से जिस केबल |

Raghav Bheel
Exe(Civil)/HQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | का उपयोग हो रहा है, जिसके संदर्भ में मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त केबल रेलटेल कंपनी की है जो कि रेलवे विभाग की है, जिसका उपयोग रेलवे विभाग के लिए ही किया जा रहा है। |
| 02 | 02 | **एस.एन. 250220 बी** :– दि. 17.12.2024 को रखी गई, संयुक्त बैठक का समाधान आज दिनांक 19.02.2025 तक नहीं निकलने पर श्रीमान के समक्ष पुनः शिकायत मय निवेदन हेतु एकबार पुनः संयुक्त बैठक रखी जाकर हो रहे नियम विरूद्ध निर्माण एवं अन्य रेलवे विभाग द्वारा जारी आपत्ति बाबत् प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं होने बाबत् तथा डीएफसी भूमि में हो रहे अतिक्रमण तथा अनाधिकृत व्यावसायिक इंटरनेट केबल कनेक्शनों से संबंधित पर आप श्रीमान मुझ अपीलार्थी को पूर्ण सरकार एवं रेलवे के हित में अपना समय निकालकर जांच किसी उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उसमें प्रार्थी की भी मौजूदगी सम्मिलित होना आवश्यक करावें। | दिनांक 17.12.2024 को रखी गई बैठक से असंतुष्टि के संबंधित आपकी आर.टी.आई. दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आपको पूर्ण रूप से जवाब दिया जा चुका है तथा अनाधिकृत व्यावसायिक केबल के संबंध में पैरा 01 में जवाब दिया जा चुका है।<br><br>आपसे निवेदन है कि बार–बार एक ही बात को लिखकर अपना व विभाग का समय व्यर्थ ना करें।<br><br>साथ ही जिन जवाब/जानकारियों को उपलब्ध करवा दिया जा चुका है अथवा संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा जा चुका है। फिर भी ऐसी जवाब/जानकारियों के लिए बार–बार पत्र लिखना उचित नही है। |
| 03 | 03 | **एस.एन. 250218 सी** :– दि. 01.04.2023 के क्रम में वांछित चाही गई, सूचना छांयाप्रतिया बाबत् नगर पालिका, रानीखूर्द द्वारा अपनाई गई जालचाक निमार्ण बाबत् रेलवे विभाग की बिना अनुमति से किए गए कार्य पर लाखों रूपयों का पालिका कोष को जानबूझ कर हानि देकर अपना स्वार्थसिद्ध कर लिया गया है। आप श्रीमान द्वारा आज दिन तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्यवाही संपन्न नहीं की गई है। श्रीमान द्वारा प्रेषित डाक 08.02.2025 में प्रस्तुत प्रेषित पत्र भी अनावश्यक मांगी गई सूचनाओं छांयाप्रतियां वांछित सत्यापित एवं अधिशाषी अधिकारी श्री सुदर्शन जांगू के हस्ताक्षर के बिना पोस्ट की गई है। कृपया पुनः संज्ञान में लिया जाकर उचित कार्यवाही की जाकर वांछित चाही गई 01. 04.2023 आवेदन अनुसार मुझ अपीलार्थी | डाक दिनांक 08.02.2025 में प्रस्तुत सूचनाओं के लिए उक्त विभाग से संबंधित होने के कारण उसी से संपर्क करना उचित होगा। |

Raghuveer Sheel
Exe.Civil/HQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | को उपलब्ध करावें। | |
| 04 | 04 | **एस.एन. 250219 ए** :– आवेदन दि. 14.12. 2024 के क्रम में मुझ प्रार्थी को अधूरे बिन्दुओं से मात्र एक पृष्ठ से ही गलत भ्रामक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना निरीक्षण किए जानकारी कर इतिश्री कर ली है। जबकि अपीलार्थी ने 07 बिन्दुओं से सूचनाएं श्रीमान के कार्यालय में संस्थित रेकॉर्ड शाखा से संबंधित ही छांयाप्रतियां मांगी गई है। आज दिनांक तक उपलब्ध ही नही है या उपलब्ध करवाए जाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। मेरे द्वारा नियमानुसार प्रथम अपील भी संस्थित करवाई जा चुकी है जिस पर भी आज दिनांक तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं अपीलार्थी वांछित छांयाप्रतियों से अभावग्रस्त हूं। | आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 14.12.2024 में सभी प्रश्नों बिन्दुवार जवाब दिया जा चुका है। (प्रतिलिपि संलग्न) तथा शेष रहे बिन्दुओं क्रम संख्या – 02, 05 एवं 6 इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण आर.टी.आई. अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के तहत् रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक–अज / मा.संसा. / आर.टी.आई. / 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न) तथा साथ ही वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम रेलवे, अजमेर के पत्रांक – W/CPGRAM/ Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी गई थी। (प्रतिलिपि संलग्न) |

Raghuvir Bhel 22/3/25

कार्यकारी / सिविल / मुख्या.
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

3

क्रमांक सं. अज / मा.संसां. / आर.टी.आई.2024 दिनांक 27.12.2024

निमित्तः

वरिष्ठ मंडल अभियंता
उत्तर पश्चिमी रेलवे
अजमेर।

**विषयः**–सूचना अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित किये जाने के क्रम में।

**संदर्भः**– आवेदक अशोक जैन महात्मा द्वारा आर.टी.आई दिनांक 14.12.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रार्थी श्री अशोक जैन महात्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना–पत्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को अपील के माध्यम से सूचना चाही गई है, जिसमे डीएफसीसीआईएल द्वारा उपयोग के पश्चात् शेष भूमि से संबंधित जानकारी चाही गई है, जो आपके कार्यालय से संबंधित है। आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना–पत्र आर.टी.आई एक्ट–2005 की धारा 6(3) के तहत आपको निराकरण हेतु अग्रेषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है–

| प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | आप श्रीमान के कार्यालय के द्वारा रानी स्टेशन 306115 के डीएफसीसीआईएल की भूमि के पूर्व दिशा की भूमि पर ही कब्जा जमाये अतिक्रमीयो की सूची मय नाम पता एवं आपके कार्यालय से जारी नोटिसों की भी छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। | |
| 2 | आप श्रीमान के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में संस्थित रानी रेलवे के स्टेशन पर श्रीमान की डीएफसीसीआईएल रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया पी. सी. 1 व 2 के बाहर निकलने के पश्चात् छोडा गया आम रास्ता की चौडाई का माप से सम्बंधी पूर्व दिशा की और रोड़ बनाया गया है, उस रोड़ की चौड़ाई से जानकारी मय रिपॉर्ट की छाया प्रतियां दिलावे। | |

अतः उक्त प्रार्थना पत्र आर.टी.आई एक्ट 2005 की धारा 6(3)के तहत स्थानांतरित की जाती है तथा उक्त दोनो बिंदुओ का जवाब तैयार कर अपीलान्ट को अवगत कराते हुए प्रति इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

RECEIVED NO-1899 DT- 27/12/24 AJMER अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
Raghuvar Bhed
Executive/HQ

27.12.24
विवेक काला
उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / इंजी.(II)
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

# नोट

श्री अशोक जैन महात्मा की आर.टी.आई. दिनांक 14.12.2024 का जवाब बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

| क्र.सं. | आईटम संख्या | मांगी गई जानकारी (प्रश्न) | दी गई जानकारी (उत्तर) |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | डीएफसी विभाग द्वारा रानी स्टेशन पर करवाया गया भू–भाग का सीमांकन का कार्य जांच मय कार्यालय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि। | डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में जवाब दिया जा चुका है। |
| 02 | 02 | श्रीमान के कार्यालय रिपोर्ट के पष्चात् की गई कार्यवाही तथा अतिक्रमण पर नोटिस भूमि–विभाग से संबंधित सत्य सत्यापित जानकारी मय छांयाप्रतियां उपलब्ध करावें। | आर.टी.आई. एक्ट–2005 की धारा 6 (3) के तहत् रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। |
| 03 | 03 | रानी रेलवे स्टेशन के लिए डीएफसी रेलवे लाईन बिछाई गई किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर बिछाई गई लाईन का माहवार व वर्ष दिनांक से अवगत करावें। | रानी रेलवे स्टेशन के लिए उक्त किलोमीटर में डीएफसी द्वारा कोई रेलवे लाईन नही बिछाई गई है। |
| 04 | 04 | वर्तमान में डीएफसी की लाईन के दोनों ओर किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर रेलवे की भूमि भू–भाग की पूर्ण चौड़ाई पूर्व से पष्चिम की दिषा की सत्यापित प्रतिलिपि। | डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में उपलब्ध करवा दी गई है। |
| 05 | 05 | आप श्रीमान के कार्यालय द्वारा रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी की भूमि भू–भाग पर पूर्व दिषा में कब्जा जमाए अतिक्रमियों की सूची मय नाम, पता एवं आपके कार्यालय से जारी नोटिसों की छांयाप्रतियां उपलब्ध करावें। | आर.टी.आई. एक्ट–2005 की धारा 6 (3) के तहत् रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। साथ ही वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। |
| 06 | 06 | आप श्रीमान के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में संस्थित रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया पीसी 1 व 2 के बाहर निकलने के पष्चात् छोड़ा गया आम रास्ता की चौड़ाई की माप से संबंधित पूर्व दिशा की ओर रोड़ बनाया गया है। उस रोड़ की चौड़ाई से जानकारी मय रिकॉर्ड की छांयाप्रतियां दिलावें। | आर.टी.आई. एक्ट–2005 की धारा 6 (3) के तहत् रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। |

07.02.25

सत्यापित प्रतिलिपि
Exe [illegible]

विवेक काला
उप मुख्य परि. प्रबंधक/इंजी.II
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

कार्यालय मुख्य महा प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर
128
07 FEB 2025
OFFICE OF THE C.G.M.
D.F.C.C.I.L., AJMER

उत्तर पश्चिम रेलवे

मण्डल कार्यालय, अजमेर
दिनांक 6/2/25

संख्या. W/CPGRAM/Complaint/LMC

श्री अशोक जैन महात्मा
हाई स्कूल रोड़, मैन बाजार
रानी स्टेशन (306115)
जिला–पाली (राज.)

**विषयः–** सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने के कम में।

**संदर्भः–** उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / इंजी-II, DFCCIL अजमेर का पत्र सं. अज / मा.सं.सां. / आर.टी.आई.2024 दिनांक 27.12.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से RTI के तहत आपके द्वारा माँगी गई जानकारी के सम्बन्ध में मद सं. 6 व 7 हेतु DFCCIL द्वारा अजमेर मण्डल को स्थानान्तरित की गई है। इस कम में सहायक मण्डल इंजीनियर उ.प.रेलवे फालना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

**संलग्नः–** यथोक्त।

7.2.25

वरि. मण्डल इंजीनियर (पश्चिम)
अजमेर

**प्रतिलिपिः–** उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / इंजी-II, DFCCIL अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सत्यापित प्रतिलिपि
Rajan Bhel
Exe/Civil/HQ

उ.प.रे. N.W.R.

जी 30 बी/जी एल 19
G 30 B / GL 19

संख्या No. W-338/FA दिनांक Date 16.01.2025

प्रेषक From SSE/W/FA

सेवा में To ADEN-FA

विषय Sub : → आरटीआई आवेदन (श्री अशोक जैन महात्मा) दिनांक-15.12.2024 के क्रम में जवाब भेजने के क्रम में।

संदर्भ Ref.: (i) मंडल कार्यालय अजमेर का पत्र क्रमांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक-08.01.2025.

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री अशोक जैन महात्मा, रानी द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक-15.12.24 के अंतर्गत इस यूनिट से संबंधित मदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

मद संख्या-6 :- वर्तमान में रानी स्टेशन-306115 के डीकेसी सीआईएल की भूमि के पूर्व दिशा की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

मद संख्या 7 :- DFC रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया P.S. 1 के पास द्वितीय प्रवेश भवन हेतु रोड एवं सरक्युलेटिंग एरिया का निर्माण किया गया है, जिसकी औसतन चौड़ाई मौके पर 11.50 मी० है। P.S. 2 के पास यात्रियों को रेल परिसर में आवागमन हेतु Approach का निर्माण DFCCIL के द्वारा कराया गया है, जिसकी चौड़ाई 13.50 मी० है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

forwarded to Sr. DEN/W/AII/Sir

[signature]
सीनियर सैक्शन इन्जीनियर (कार्य)
Senior Section Engineer (Works)
उ.प.रे. फालना, N.W.R. Falna

[signature]
ADEN/FA
सहायक मंडल इन्जीनियर
Asstt. Divisional Engineer
उ.प.रे. फालना / NWR FALNA

~~सहायक [illegible]~~
Raghu Bhal
Exe(civil)/HQ

323

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
**भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम**
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
**A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise**

क्रमांक :–अज / मा0संसा0 / आर.टी.आई.–2024 / दिनांक : 26.12.2024

**निमित्त** : अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रानी खुर्द
जिला पाली (राज0)

**विषय** :–सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र धारा (6)3 के तहत स्थानान्तरित किये जाने के क्रम में।

**प्रसंग** :–केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रेषित फाईल नं0 CIC/DFCCI/A/2023/132165 दिनांक 21.10.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के संदर्भ में प्रार्थी श्री अशोक जैन महात्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2023 की प्रथम व द्वितीय अपील के पश्चात केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रकरण के बाबत दिनांक 01.04.2023 के प्रार्थना पत्र का जवाब चाहा गया है।

दिनांक 17.12.2024 को अपीलकर्ता श्री अशोक जैन महात्मा व डीएफसी के अधिकारीगणों द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की जाकर सूचना के अधिकार अधिनियम दिनांक 01.04.2023 के प्रार्थना पत्र बिन्दुवार निस्तारण किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 1 व 2 का जवाब आपके कार्यालय से संबंधित होने कारण उक्त प्रार्थना पत्र RTI Act 2005 की धारा 6(3) के तहत आपको अग्रेषित किया जाता है जो निम्नानुसार है :–

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | नगर पालिका कार्यालय द्वारा उक्त रेलवे भूमि भाग (DFC) में सी.सी. रोड निर्माण हेतु निर्देशित जारी टेण्डर की प्रति एवं न्यूज पेपर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञाप्ति खबर की प्रतियां उपलब्ध करावें। | |
| 2 | नगर पालिका रानी खुर्द द्वारा जारी तकमीना, एम.बी. बुक तथा सी.सी. रोड निर्माण के कार्यालय आदेश वर्क ऑर्डर एवं संवेदक, ठेकेदार का नाम पता ग्रेड के साथ जमा धरोहर राशि, की प्रतिंया के ही संवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की सम्पूर्ण प्रतियां छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। | |

अतः उक्त प्रार्थना पत्र RTI Act 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित की जाती है तथा उक्त दोनो बिन्दुओं का जवाब तैयार कर अपीलान्ट को अवगत कराते हुए छाया प्रति इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसे महाप्रबन्धक / समन्वय, अजमेर का अनुमोदन, मंजूरी प्राप्त है।

**संलग्न** :–
1. सू0का0 अधि0 प्रा0 पत्र दिनांक 01.04.2023 की छाया प्रति
2. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रेषित फाईल नं0 CIC/DFCCI/A/2023/132165

VIVEK KALA Digitally signed by VIVEK KALA Date: 2024.12.26 14:08:46 +05'30'

(विवेक काला)
उप मुख्य परि0प्रबन्धक / इंजी–II
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
Raghav Bheel
Exe/civil/HQ